FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी नारायण बनाम अप्रार्थी तहसीलदार आबापुरा (2020 000056)

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) 136 LRA प्रकरण संख्या– 00049/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/9/2020	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री नारायण पिता वादिया जाति भील निवासी खरवाला भेकनी तहसील आबापुरा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री तहसीलदार, आबापुरा पिता — जाति — निवासी — के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29/9/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
29-9-2020	पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। नोटिस शामिल मिसल किया। जवाब हेतु समय चाहा। ~~पत्रा~~ श्रीमान जी आज अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 09-10-2020 को पेश हो। आदेश	
09-10-2020	पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब पेश करने समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21-10-2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हूक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.7.22	पत्रावली पेश हुई वास्ते PO साहब अवकाश पर होने से पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आगामी दिनांक 29.7.22 को पेश हो। [signature]	
29.7.22	पत्रावली पेश हुई बकुलाप [illegible] पत्रावली वास्ते रेकार्ड [illegible] पेश नहीं हुआ आगामी दिनांक 20.9.22 को पेश नहीं होने पर पत्रावली को निर्णित किया जायेगा। [signature]	
20.9.22	पत्रावली पेश हुयी। अधि० प्रार्थी उप० पत्रावली पर बहस सुनी गयी। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब-प्रार्थना व संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र साथ दस्तावेज के नाम पर मात्र जमाबंदी 2070-73 खाता सं. 69 ख.नं. 162/ख/75 व 163/75 संलग्न है जिसके आधार पर यह साबित किया जाना मुश्किल है कि प्रार्थी के नाम में लिपिकीय त्रुटि किस संवत में राजस्व रिकॉर्ड में हुयी है ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] न होकर बदिया हो। मात्र राशन कार्ड, जो आधार से इसका निश्चयन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] कर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chan
Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested